

(2)

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----|---|-----------------------------|--|----------|
| 11 | 123 | 167 | Dalip Kumar Jakhar | 10-Oct-1992 | MOHAN LAL JAKHAR | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, भादासर उत्तरादा | सरदारशहर |
| 12 | 126 | 321 | Satish Kumar | 15-Dec-1991 | CHET LAL | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, पुनसीसर | सरदारशहर |
| 13 | 129 | 443 | Mahesh Kumar Jangir | 10-Sep-1990 | JAGADISH PRASHAD JANGIR | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, देगां | सरदारशहर |
| 14 | 130 | 457 | Uttam Sankholia | 01-Aug-1991 | SATYANARAYAN SANKHOLIA | GEN | M | Un-Reserved/OBC(CL)/SBC(CL) | राउप्रावि, आनन्दवासी | सरदारशहर |
| 15 | 137 | 769 | Mohammed Yunus Shaikh | 12-Jun-1996 | NIJAMUDEEN | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, पुनसीसर | सरदारशहर |
| 16 | 138 | 775 | Ranveer Kaswan | 10-Jul-1996 | HANUMANA RAM KASWAN | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, सिंगड़ी | सरदारशहर |
| 17 | 139 | 839 | Sonu Ram | 10-Dec-1990 | KANSHI RAM | GEN | M | Un-Reserved/OBC(CL)/SBC(CL) | राप्रावि, आसपालसर बसेरा | सरदारशहर |
| 18 | 140 | 847 | Muni Ram Bangarwa | 11-Jul-1991 | LIKHMA RAM BANGARWA | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, बीजरासर | सरदारशहर |
| 19 | 141 | 863 | Suresh Kumar | 15-Feb-1992 | SHER SINGH | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राप्रावि, नाकड़िया जोहड़ नैणासर सुमेरिया | सरदारशहर |
| 20 | 142 | 924 | Satyawan Singh | 20-Jun-1994 | MANDROOP SINGH | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, ढाणी कालेरा | सरदारशहर |
| 21 | 143 | 941 | Nemichand | 21-Jan-1995 | BAJRANG SINGH GODARA | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, ढाणी देगां | सरदारशहर |
| 22 | 144 | 965 | Ravi Parkash | 25-Dec-1995 | DHARAM PAL | GEN | M | SC | राउप्रावि, रामसीसर चैनानिया | सरदारशहर |
| 23 | 145 | 978 | Luna Ram Balan | 14-Sep-1996 | PEMA RAM | GEN | M | SC | राउप्रावि, कानडवास उत्तरादा | सरदारशहर |
| 24 | 148 | 1111 | Sandeep Kumar Dangi | 31-Mar-1992 | RANVEER SINGH | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, ढाणी कालेरा | सरदारशहर |
| 25 | 149 | 1131 | Jitendra | 10-Jul-1992 | HARI SINGH | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, रामसीसर चैनानिया | सरदारशहर |
| 26 | 150 | 1144 | Sandeep | 03-Nov-1992 | DAYA SINGH | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राप्रावि, पातलीसर पुरोहितान | सरदारशहर |
| 27 | 151 | 1182 | Kailash Chand Poonia | 05-Jun-1993 | RAM LAL POONIA | GEN | M | OBC(Non Creamy Layer) | राप्रावि, माकड़िया जोहड़ रूपलीसर | सरदारशहर |

(3)

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|---------------------|-------------|-------------------|-----|---|--|-----------------------|---|----------|
| 28 | 152 | 1183 | Sandeep Kumar | 07-Jun-1993 | RAMESH KUMAR | GEN | M | | OBC(Non Creamy Layer) | राप्रवि, नाकड़िया जोहड़ नैणासर सुमेरिया | सरदारशहर |
| 29 | 153 | 1225 | Surendra Saran | 10-Jul-1994 | NATHU RAM SARAN | GEN | M | | OBC(Non Creamy Layer) | राप्रवि, खेजड़ा अगुणा बास | सरदारशहर |
| 30 | 155 | 1452 | Pardeep Kumar | 01-Jan-1992 | JAI SINGH | GEN | M | | OBC(Non Creamy Layer) | राबाउप्रावि, रातूसर | सरदारशहर |
| 31 | 156 | 1461 | Vijendra Singh | 10-Feb-1992 | INDRAJ SINGH | GEN | M | | SC | राउप्रावि, हीराजसर | सरदारशहर |
| 32 | 157 | 1492 | Naveen Kumar | 10-Jul-1992 | SURESH KUMAR | GEN | M | | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, हीराजसर | सरदारशहर |
| 33 | 158 | 1531 | Manoj | 10-Jul-1993 | RAMA SWAROOP | GEN | M | | OBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, लोढसर | सरदारशहर |
| 34 | 161 | 1721 | Bajrang Lal Saharan | 10-Jul-1988 | HANS RAJ | GEN | M | | OBC(Non Creamy Layer) | राबाउप्रावि, शिमला | सरदारशहर |
| 35 | 162 | 1824 | Jai Narayan | 26-Apr-1991 | BHANWAR LAL | GEN | M | | SC | राबाउप्रावि, रातूसर | सरदारशहर |
| 36 | 163 | 1851 | Mahaveer Dan Charan | 04-Aug-1991 | HARU DAN CHARAN | GEN | M | | OBC(Non Creamy Layer) | राबाउप्रावि, राजासर बीकान | सरदारशहर |
| 37 | 164 | 1936 | Vijay Kumar Aseri | 01-Jan-1993 | NATHU RAM ASERI | GEN | M | | SC | राउप्रावि, आसासर | सरदारशहर |
| 38 | 165 | 2775 | Ravindra Kumar | 02-Jul-1990 | MAMCHAND SINGH | GEN | M | | SC | राप्रवि, महियो की ढाणी सोनपालसर | सरदारशहर |
| 39 | 166 | 2925 | Jesaram Dhaniya | 09-Aug-1992 | BHGIRATH | SC | M | | SC | राबाउप्रावि, शिमला | सरदारशहर |
| 40 | 167 | 3113 | Manoj Kumar | 01-Jul-1996 | BHANWAR LAL | SC | M | | SC | राप्रवि, महियो की ढाणी सोनपालसर | सरदारशहर |
| 41 | 169 | 3296 | Bhinwa Ram Meghwal | 06-Jul-1991 | MANGI LAL MEGHWAL | SC | M | | SC | राउप्रावि, आसासर | सरदारशहर |
| 42 | 170 | 3382 | Deshraj | 10-Oct-1992 | MANIRAM | SC | M | | SC | राउप्रावि, राजलवाड़ा | सरदारशहर |
| 43 | 172 | 3558 | Satyapal | 30-Aug-1995 | RAJ KUMAR | SC | M | | SC | राउप्रावि, बिल्यू महियान | सरदारशहर |
| 44 | 175 | 3768 | Pankaj Khankheriya | 25-Aug-1990 | RADHESHYAM | SC | M | | SC | राउप्रावि, नाहरसरा | सरदारशहर |
| 45 | 176 | 3804 | Anand Kumar | 24-Apr-1991 | SOHAN LAL | SC | M | | SC | राउप्रावि, पिरेर | सरदारशहर |

(4)

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|--------------|-------------|-----------------------|-----|---|--|-----------------------|------------------------------------|----------|
| 46 | 178 | 4420 | Deepak Kumar | 19-Oct-1996 | MOHAR SINGH MEENA | ST | M | | ST | राउप्रावि, नीमरासर | सरदारशहर |
| 47 | 179 | 4631 | Ajay Kumar | 18-Jul-1994 | RAM BHADUR | SBC | M | | SBC(Non Creamy Layer) | राउप्रावि, ईशरदास की ढाणी सोनपालसर | सरदारशहर |
| 48 | 181 | 4668 | Hemraj Meena | 02-Nov-1996 | JAGDISH PARASAD MEENA | ST | M | | ST | राबाउप्रावि, दल्लूसर | सरदारशहर |

उक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन / नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर विभागीय निर्देश / पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 (1) नियम 273 / नियम 1996 के प्रावधान यथा संशोधन सहित प्रभावी होंगे।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सरदारशहर अपने स्तर से उक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति / पदस्थापन के संबंध में यथा अपेक्षित पात्रता / अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ नव-चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में पंचायती राज विभाग/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

नवनियुक्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापको (कक्षा 1 से 5 के लिए) को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम की अनुसूची 4 के अनुसार परीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक रूपये 13200/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य भते यथा मकान किराया, मंहगाई भता, शहरी क्षतिपूर्ति भता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिविक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायती राज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष के परिविक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का नियमानुसार वेतनमान 9300-34800 ग्रेडपे 3600/- देय होगा। जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार वेतन भते देय होंगे।

इन अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही हैं जो इन्होंने परीक्षा के अपने पत्रों में उल्लेखित की हैं और जिन्हें जिला स्थापना समिति जिला परिषद चूरु द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

ये नियुक्तियां तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2016 प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5 के संबंध में पंचायती राज विभाग व प्रा.शिक्षा द्वारा समय समय पर जारी निर्देश व माननीय न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।।

विशेष पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में इनकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई आधार पर रहेगी नियुक्त अभ्यर्थी संबन्धित पद पर स्थाईकरण का अधिकारी नहीं होगा। साथ ही विशेष पिछड़ा वर्ग की उक्त नियुक्तियां विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के अध्याधीन / माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी। इनके संबंध में पंचायती राज विभाग / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश / निर्देश लागू होंगे।


नोट :-

1. उक्त चयन / पदस्थापन / नियुक्ति समय-समय पर पंचायती राज विभाग/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अध्याधीन रहेगी।
2. उक्त चयन/नियुक्ति/पदस्थापन प्रोविजनल होगी एवं चयन/नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी के पक्ष में कोई अधिष्ठायी अधिकार उत्पन्न नहीं करेंगी।
3. उक्त अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता राज्य से बाहर की है उनकी नियुक्ति / पदस्थापन/कार्यग्रहण पश्चात योग्यता का सत्यापन संबन्धित संस्था/महाविद्यालय से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सरदारशहर द्वारा अपने स्तर से करवाया जायेगा।
4. उक्त चयन/नियुक्ति/पदस्थापन / आवंटित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का मिलान कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजात से ब्लाक प्रा.शि.अधिकारी पंचायत समिति सरदारशहर अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे व समस्त उत्तरदायित्व ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी सरदारशहर का होगा।
5. उक्त चयन/नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 256 के तहत अपात्र नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(13/11/2017-5)

(5)

6. उक्त चयन/नियुक्ति/पदस्थापन पिछड़ा वर्ग श्रेणी के किसी अभ्यर्थी के क्रिमिलियर नहीं होने के संबंध में पुष्टि ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी सरदारशहर अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें।
7. उक्त चयन/नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में अपेक्षित दस्तावेज/ शपथ पत्र आदि ब्लाक प्रा.शि.अधिकारी सरदारशहर कार्यग्रहण से पूर्व प्राप्त करना निश्चित करे।
8. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा किसी कारणवश 15 दिवस में कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेगा।
9. अभ्यर्थियों को दो वर्ष की परिविक्षाकाल अवधि में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियत परिश्रमिक (Fix Remuneration) देय होगा एवं परिविक्षाकाल अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर पंचायतीशज/राज्य सरकार/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों के तहत नियमानुसार वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलाभ / सेवालाभ देय होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षाकाल में कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमों अनुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र ब्लाक प्रा.शि अधिकारी सरदारशहर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
12. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र एवं वित्त विभाग द्वारा जारी संतान संबंधी घोषणा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
13. उक्त अभ्यर्थियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13 (1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
14. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी या अथवा फर्जी पाये जाते हैं तो इनकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
16. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों /संशोधित प्रबंधनों अनुसार देय होंगे।
17. परिविक्षाकाल में सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस दिया जाकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
18. पदग्रहण करने से पूर्व दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो अभ्यर्थियों के रिश्तेदार न हों, चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो 6 माह पूर्व का नहीं होगा।
19. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।
20. ऐसा विवाहित अभ्यर्थी जिसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो वह राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा का पात्र नहीं होगा। इस विषय में पदग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त शर्त का अपना शपथ पत्र ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी सरदारशहर को प्रस्तुत करे।
21. अभ्यर्थी को एक से अधिक पत्नी/पति नहीं होने का शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
22. परिविक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात नियमानुसार वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन अनुज्ञात किया जायेगा।
23. जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं से संबंधित उपाधियों/प्रोविजनल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं, उन्हें ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय में अपनी उपाधि/प्रोविजनल प्रमाणपत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
24. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 256 के अनुसार नियोजन के लिए अपात्र एवं निरर्हक अभ्यर्थी को बिना कारण बताये उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
25. उक्त नियुक्ति पर कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना/मेमोरेण्डम दिनांक 13.03.06 एवं 12.09.08 में उल्लेखित नियम व शर्तें लागू होंगी।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति सरदारशहर

(संख्या-6)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान अति. मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान अति. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
5. श्रीमान निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. श्रीमान उपायुक्त (प्रशिक्षण)/ उप विधि परामर्शी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज-प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान जयपुर।
7. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद्, चूरु।
8. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरु।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चूरु।
10. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चूरु।
11. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), चूरु।
12. माननीय प्रधान महोदय, पंचायत समिति सरदारशहर को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।
13. उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर
14. तहसीलदार सरदारशहर
15. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय सरदारशहर।
16. संबंधित पुलिस अधीक्षक चूरु/..... को नवनियुक्त अध्यापको के चरित्र सत्यापन हेतु।
17. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पंचायत समिति, सरदारशहर को उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की मूल पत्रावलियां / आवंटन आदेश इस पत्र के संलग्न प्रेषित कर लेख है कि, नियुक्त अध्यापकों को कार्यग्रहण से पूर्व विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन अपने स्तर पर संपादित करें तथा सत्यापन की सुनिश्चितता एवं पात्रता की पूर्ण जांच करते हुए उपरोक्तानुसार वांछित समस्त दस्तावेज संबंधित अभ्यर्थी से प्राप्त कर समय-समय पर राज्य सरकार / पंचायत राज / प्रा. शि द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अभ्यर्थियों को आवंटित विद्यालय में कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें एवं उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने स्तर से उक्त आदेश के संबंध में यथा समय सूचित करना सुनिश्चित करें।
18. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चूरु/.....को नवनियुक्त अध्यापको के स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन जारी करने हेतु।
19. संबंधित श्री/सुश्री/श्रीमती..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं आवश्यक दस्तावेज ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सरदारशहर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
20. संस्था प्रधान रा प्रा वि / रा उ प्रा विसरदारशहर।
21. आदेश पत्रावली।

बिकास अधिकारी
पंचायत समिति सरदारशहर